कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः-2023/11-सी-FP/UP/Trans/22022/2016 ,लखनऊः दिनांकः मार्च 30/,2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झॉसी।

विषयः— पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 झॉसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना-ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयेाग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपके कार्यालय का पत्रांक-3347/33-1, दिनांक-23.03.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

- झांसी वन प्रभाग :—

1— वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु पूर्ण 18 मानक शर्ते अंकित नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं है।

2— प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधें (मुख्यतः औषधीय) के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं है।

3— क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

4— क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है तथा बिना लीजेण्ड अंकित किये अत्यन्त शूक्ष्म संलग्न किया गया है, जो स्वीकार्य नही है।

5— प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

6— भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।

7— प्रस्ताव के हार्डकापी, भाग-2 में हरियाली घनत्व आनलाईन भाग-2 के अनुसार अंकित नहीं है।

8— प्रस्ताव के आनलाईन, भाग-2 में District Profile हार्डकापी भाग-2 के अनुसार नहीं है तथा डाटा त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।

09— प्रस्ताव में हिन्दी वर्जन भाग-1 संलग्न नहीं है।

10— आवश्यकता न होने के कारण हार्डकापी के पृष्ठ संख्या-65 को प्रस्ताव से पृथक करें।

- उरई वन प्रभाग :—

1— भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु तिथि अंकित नहीं है।

2— वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु पूर्ण 18 मानक शर्ते अंकित नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं है।

3— प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि से भिन्न अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, जो त्रुटिपूर्ण है अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का संशोधित प्राक्कलन संलग्न कर कर आनलाईन अपलोड करें।

4— प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय) के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं है।

5— पृष्ठ संख्या-36 पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है तथा हार्डकापी के पृष्ठ संख्या-37 पर संलग्न प्रमाण पत्र में भिन्नता है। जो अनावश्यक प्रतीत होता है। अतः स्थिति स्पष्ट करे।

6— भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।

7— वन अधिकार अधिनियम—2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु जिलाधिकारी की मोहर व पत्रांक अंकित नहीं है।

8— गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

9— मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

10— प्रस्ताव के हार्डकापी, भाग—1 में परियोजना की लागत अंकित नहीं है।

11— प्रस्ताव के हार्डकापी, भाग—2 में प्रस्तावित वनभूमि का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।

12— प्रस्ताव के आनलाईन, भाग—2 व हार्डकापी भाग—2 में District Profile भिन्न—भिन्न व त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।

13— हार्डकापी के पृष्ठ संख्या—51, 59 व 60 पर संलग्न प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।

14— प्रस्ताव में कुछ प्रमाण—पत्रों की पुर्नावृत्ति की गयी है। अतः परीक्षण कर अनावश्यक प्रमाण—पत्रों को प्रस्ताव से पृथक करें।

15— दोनो वन प्रभागों का अलग—अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार समेकित कर प्रेषित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— /11—सी— FP/UP/Trans/22022/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एवं जालौन स्थान—उरई।
2. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, झांसी।

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।